क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे वकील वादी की बहस सुनी गई थी। वाद वादी का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर

वाद संख्या :– 143/16

किशनलाल गोदपुत्र स्व0 केशा उर्फ केशुराम माली निवासी सूलीमगरा

बनाम

मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल माली निवासी सूलीमगरा

वाद अ.धा. 88–188 रा.काश्त.अधि.

उपस्थित :– अशोक शर्मा
अधिवक्ता वादी
के.सी.गंत्री
अधिवक्ता प्रतिवादी

आदेश दिनांक :– 08.12.2022

आदेश प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी

उक्त प्रकरण में प्रार्थी(प्रतिवादीगण) की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी निम्न प्रकार पेश है –

1. यह कि उक्त अनवानी वादपत्र में वर्णित आराजीयात के संबंध में न्यायालय श्रीमान में एक वाद छगनलाल बनाम कन्हैयालाल के रूप में वास्ते घोषणा का पहले से लंबित है। उक्त वाद छगनलाल बनाम कन्हैयालाल की मूल पत्रावली माननीय राजस्व मंडल अजमेर में विविध प्रा0प0 के रिविजन/अपील के निस्तारण में चली गयी थी। जो वर्तमान में पुनः लौटकर आ गयी एवं प्रकरण सं0 3/19 के रूप में न्यायालय श्रीमान में लंबित है।
2. यह कि एक ही विषय वस्तु एवं एक ही आराजीयात को लेकर समान पक्षकारों के मध्य दो वाद विचारण कानूनन नहीं हो सकते है जिससे बाद में प्रस्तुत इस प्रकरण में कार्यवाही ड्राप किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि इस वाद में कार्यवाही ड्राप किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वकीलवादी ने निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत कर इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी(प्रतिवादीगण) ने गलत कथन अंकित किये है वादी पक्षकार नहीं है। उक्त प्रकरण का वादी किशनलाल ने उक्त वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाइ निषेधाज्ञा का पेश किया है। स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित है।

विशेष कथन–

यह कि वादी केशुराम का गोदपुत्र है एवं पूर्व वादपत्र में अभी तक वादी पक्षकार नहीं है। पूर्व वादपत्र व वर्तमान वादपत्र में पक्षकारान भी अलग–अलग है एवं चाहा गया अनुतोष भी अलग–अलग है। जिससे प्रा0प0 प्रतिवादी चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रतिवादी ने जान–बूझकर वाद को लंबित करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रा0प0 स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रा0प0 सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रा0प0 अ0धा0 10 सी.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रा0प0 अनुसार अपनी बहस इस प्रकार से पेश की है कि वादपत्र की वर्णित आराजीयात के संबंध में न्यायालय श्रीमान में एक वादपत्र छगनलाल बनाम कन्हैयालाल के रूप में वास्ते घोषणा का पहले से लंबित है जिसका प्रकरण सं0 3/19 है। एक विषय वस्तु एवं एक ही आराजी को लेकर समान पक्षकारों के मध्य दो वाद विचारण कानूनन नहीं हो सकते हैं जिससे वाद में प्रस्तुत इस प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप किया जावे।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) की जवाबी बहस में वकील वादी ने इस प्रकार से कि है कि वकील प्रतिवादी ने गलत कथन किये है वादी पक्षकार नहीं है उक्त प्रकरण

का वादी किशनलाल ने उक्त वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी केशुराम का गोदपुत्र है एवं पूर्व में वादपत्र में अभी तक वादी पक्षकार नहीं है पूर्व वादपत्र व वर्तमान वादपत्र में पक्षकारान भी अलग–अलग है एवं चाहा गया अनुतोष भी अलग अलग है। प्रतिवादी ने जान–बूझकर वाद को लंबित करने की गरज से प्रा0प0 प्रस्तुत किया है एवं वकील प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि प्र0सं0 3/19 का अनवान आराजीयात व पक्षकारान अ0धा0 और चाहा गया अनुतोष सभी समान है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात हम वकील वादी की बहस से सहमत है। प्रकरण में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रा0प0 धारा 10 सी.पी.सी. के साथ दावा सं0 3/19 के साथ वादपत्र आदेशिका की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न नहीं की है। और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि यह दावा व दावा सं0 3/19 एक ही आराजीयात समान पक्षकार व समान अ0धा0 का एवं समान अनुतोष चाहा गया हो। जिससे प्रा0प0 धारा 10 सी.पी.सी. का खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रा0प0 दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है।

(कैलाशचन्द्र गुजर)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौडगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

केस नं0 : 143/2016

किशनलाल गोदपुत्र स्व0 केशा उर्फ केशुराम माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1 मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जाति माली निवासी रेन की कुई के पास बेगूँ तह0 बेगूँ
2 रतनीबाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति माली निवासी रेन की कुई के पास बेगूँ तह0 बेगूँ
3 गोपाल लाल पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति माली निवासी रेनकी कुई के पास बेगूँ तह0 बेगूँ
4 मोहनलाल पिता श्रीकिशन जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
5 रामेश्वरलाल पिता श्रीकिशन जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
6 छगनलाल पिता विरम जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
7 बालीबाई पत्नी दलीचन्द्र जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
8 गोपाल लाल पिता दलीचन्द जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
9 भवानीशंकर पिता दलीचन्द जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
10 सेहनलाल पिता हजारी लाल जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
11 मूलीबाई पुत्री विरम पत्नी वेणा माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
12 लालीबाई पुत्री गणेश जी पत्नी रमेश जी माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
13 सोहनी वाई माता भोलीबाई पत्नी देवीलाल जी माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
14 सुरेश पिता देवीलाल जी माता भोलीबाई निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
15 गट्टु उर्फ छीतर पिता नन्दा जी माली माता आनीबाई माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
16 भगवती पत्नी रामचन्द्र जी माली माता आनी बाई माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
17 मंजू पत्नी मदन जी माली माता आनीबाई माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
18 शंकर पिता तारिचन्द्र माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
19 घनश्याम पिता ताराचन्द्र माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
20 हेमलता पिता ताराचन्द्र माली ना.बा. जरिये माता रामूबाई माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
21 कैलाश पिता ताराचन्द्र माली ना.बा. जरिये माता रामूबाई माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
22 मदनलाल माता मांगीबाई पुत्र मोतीलाल माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
23 वंशीलाल पिता मोहन जी माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
24 गोवर्धनी पिता किशन जी पति घीसू जी माली निवासी खालडिया तालाब बेगूँ तह0 बेगूँ
25 कैलाशी पिता किशन जी माली पत्नी भैरू जी माली निवासी मेन रोड बेगूँ तह0 बेगूँ
26 गुड्डीबाई पुत्री किशन जी माली पत्नी शीशपाल जी माली निवासी केसरगंज बिजौलिया
27 दुर्गाबाई पतनी इन्द्रजीत पुत्री कन्हैयालाल माली निवासी नीम का खेडा तह0 बून्दी
28 श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
29 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
30 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़ प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16.09.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 23 व 27 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि आराजी मौजा सूलीमंगरा पटवार हल्का बेगूँ में स्थित है जिसकी तफसली निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर
82	92	0.2200

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

	94	0.0800
	99	0.1100
	100	0.1000
	101	0.0700
	115	0.0900
	116	0.0400
	117	0.2400
	118	0.2200
	119	0.1200
	120	0.1500
	93	0.1100
	कुल कीता–12 रकबा	1.5500 हैक्टर
63	106मीन	0.3800
	कीता–1 रकबा	0.3800 हैक्टर
40	102	0.0900
	103	0.0300
	108	0.6200
	109	0.2700
	112	0.1500
	113	0.1500
	कुल कीता–6 रकबा	1.3100 हैक्टर

यह कि वादी एव प्रतिवादी संख 1 लगायत 23 व 27 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य होकर मृतक अमरा के वंशज है एवं प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 26 सहखातेदार होने से वाद पत्र में पक्षकार है। मृतक अमरा का पारिवारिक सजरा पृष्ट संख्या 6 पर संलग्न वाद पत्र किया है। यह कि मृतक अमरा की मृत्यु के बाद वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीण्गा संख्या 1 लगायत 21 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। मृतक अमरा की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि आराजीयात में विरम जी दोला जी कूका जी व रामश्किान जी के नाम दर्ज रिकार्ड हुई।

यह कि मृतक रामकिशन जी के कोई संतान उत्पन्न नहीं होने से उन्होने अपने भाई मृतक कूका जी के पुत्र केशा जी उर्फ केशुराम जी को गोद रखा जिसका दाखिला नामान्तरण संख्या 229 प्रथम में भी दर्ज रिकोर्ड होकर स्व0 केसुराम उर्फ केशा जी को रामकिशन जी का गोदपुत्र होना स्वयं राजस्व कर्मचारियों ने साबित किया है इसी प्रकार मृतक केशा उर्फ केशुराम जी के समस्त वैद्य सरकार दस्तावेज में मतदाता सूची में मृत्यु प्रमाण पत्र में राशनकार्ड में बन्दूक लाईसेंस इत्यादि सभी सरकारी दस्तावेज में भी मृतक रामकिशन के पुत्र के रूप में केश उर्फ केशाराम का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। जिससे भी साबित है कि मृतक रामकिशन जी के वादवत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजीयात के 1/4 हक हिस्सा मालिक स्वामी होकर उसी अनुसार भूमि पर उनका कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है।

यह कि मृतक केशा उर्फ केशुराम के कोई जाईन्दा पुत्र पुत्री नहीं होने से उसने वादी को गोदपुत्र के रूप में रखा एवं वादी ने ही मृतक केशा उर्फ केशुराम के जीवन काल में उसकी सेवा सुश्रेवा की एवं मृतक केशा उर्फ केशुराम की मृत्यु पर वादी ने ही उसका समस्त सामाजिक रिति रिवाज अनुसार कियाकम भी किया इतना ही नहीं मृतक केशा उर्फ केशुराम के जीवित अवस्था में ही बतौर पुत्र की हैसियत से वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

ायात में मृतक केंशा उर्फ केशुराम के 1/4 हक हिस्से पर मृतक केशा उर्फ केशुराम की ाते से काबिज हो काश्त कर रहा हैं।

यह कि मृतक केशा उर्फ केशुराम ने अपने जीवनकाल में मृतक रामकिशन जी । जीवित अवस्था में अपने जाईन्दा पुत्र पुत्री नहीं होने से बतौर वादी को गोद पुत्र रख लेया था। जो वादी के राशनकार्ड से प्रमाणित है। इतना ही नहीं वादी के समस्त सरकार दस्तावेज से भी उसका केशा उर्फ केशुराम का गोदपुत्र होना सावित है एवं मृतक रामकिशन का जी हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का एक मात्र वैद्य अधिकारी है। यह कि चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजीयात प्रतिवादीगण के हिस्से में संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज रिकार्ड होने से अन्य किसी दीगर को रहन बया बेचान कर सकते है, जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व कर्मचारियों ने मृतक केकशा उर्फ केशुराम को रामकिशन का गोदपुत्र मानते हुए भी रामकिशन जी की विरासत का इन्तकाल मृतक केशा उर्फ केशुराम अर्थात वादी के गोद पिता के नाम नहीं खोलकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 के नाम एवं उनके पिता के नाम दर्ज रिकार्ड करने की भारी भूल की है। वादी दिनांक 04.11.2016 को जब नकल जमाबन्दी प्राप्त करने के लिये पटवार हल्का के पास गया तो उक्त जमाबन्दी को आपसी सहमति से सही इन्द्राज कराने को दिनांक 05.11.2016 को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वाद कारण दिनांक 04.11.2016 को जमाबन्दी प्राप्त करने एवं दिनांक 05.11.2016 को प्रतिवादीगण को तहसील कार्यालय में चलकर वादी का नाम जुडवाने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की गोद पिता की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर अन्य दीगर को रहन बय बेचान कर देने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित भूमि मौजा सूलीमंगरा पटवार हल्का बेगूँ में वाद वर्णित भूमि तहसील बेगूँ में होकर वाद का श्रृवणाधिकार व क्षैत्राधिकार आपको प्राप्त होने से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान आप में पेश है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष प्राप्त करने का वैद्य अधिकारी है :—

1— कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि आराजी मे से मृतक केशा उर्फ केशाराम का 1/4 हिस्सा जो मृतक अमरा की विरासत से मृतक रामकिशन को आता है। उक्त 1/4 हिस्सा वादी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

2— कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि जो उनके नाम पर होने मात्र के आधार पर किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान नहीं करें न ही वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करें न ही अपने नोकर ऐजेन्ट या रिश्तेदार से करावें।

3— कि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि अपने नाम पर होने मात्र केक आधार पर किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान कर देते है तो उसे निरस्त माना जाकर वाद प्रस्तुती दिनांक की स्थिति से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

4— कि वकील मेहनताना व खर्चा मुकद्मा भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

5— कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि प्रतिवादीसंख्या 4 से 22 तक व 24, 25, 26, 28, 29 बावजूद सूचना उपस्थित न आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या 23 व 27 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन एवं अखबार में साया करा की गई, किन्तु प्रतिवादी संख्या 23 व 27 बावजूद सूचना के उपस्थित न आने से उनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 द्वारा जवाबदावा कई अवसर व अंतिम अवसर एवं कोस्ट पर अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 का जबाबदावा बंद किया गया। पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्यशपथ पत्र वादी किशनलाल गोदपुत्र केशा उर्फ केशुराम जी जाति माली ,गवाह परवेज आलम पिता सद्दीक मोहम्मद जी मंसूरी गुरालमान, खेमराज पिता वालू जी जाति माली निवासी सूलीमंगरा का पेश किये। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यशपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को एवं उनके अधिवक्तागण को कई वार आवाज दिलाने पर भी वे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में वादी किशनलाल पिता गोदपुत्र केशा उर्फ केशूराम माली के बयान कलमवद्ध कराये गये वादी द्वारा वक्त मुख्य परीक्षण पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा अधिवक्ता प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के कारण जिरह निल व पुनः परीक्षण निल रहा है। गवाह परवेज व गहवा खेमराज के बयान भी पत्रावली में कलमबद्ध कराये गये। पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्त वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस को वादपत्र अनुसार करते हुए वादी गोदपुत्र होने से मृतक केशा उर्फ केशूराम का 1/4 हिस्सा जो मृतक अमरा की विरासत से मृतक रामश्किान को आता है उक्त 1/4 हिस्सा वादी के नाम दजे किये जाने की घोषणा का आदेश फरमाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन अपनी वहस में किया गया। पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया तथा वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिवार का सजरा का भी अवलोकन किया गया। जो दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से पूर्व हमारे द्वारा वादी ने अपने वाद पत्र के साथ संलग्न पारिवारिक सजरा पेश किया है उसका अवलोकन करने पर पाया कि परिवार के मुखिया अमरा जो फोत हुए उनके पुत्र वीरम फोत, दोला फोत, कूका फोत व रामकिशन फोत हुए जिनमें से रामकिशन के गोदपुत्र केशा जी अंकित है तथा उनके गोदपुत्र किशन जी अंकित किये हुए है। इस प्रकार मृतक अमरा जी के पुत्र रामकिशन का हिस्सा सजरा अनुसार अमरा जी की सम्पत्ति में 1/4 हक हिस्से का है। अब वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में अपने वादपत्र को सिद्ध कराने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उनमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा सूलीमंगरा पटवार हल्का बेगूँ की सम्वत 2070 से 2073 तक प्रस्तुत की है जमाबंदीी में अंकित आराजी खसरा संख्या 92, 93, 94, 99,100, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 120 कीता–12 कुल रकबा 1.500 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मोहनलाल गोपाललाल दुर्गाबाई पिता कन्हैयॉलाल रतनीबाई पत्नि कन्हैयांलाल नन्दू बेवा भागीरथ श्री किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पिता दोला कुसमीवाई प.स्व.हजारी सोहनलाल इन्द्राबाई पिता हजारी बाली बेवा दलीचन्द किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर जमनीबाई पिता दलीचन्द्र घीसीबाई बरदीबाई देउबाई गोरधनबाई पिता कुका माली सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमंगरा हिस्सा 1/9 रामकिशन का ना.सं. 251 दर्ज अंकित है। जमाबंदी में नोट अंकित है नामा सं. 321 नि. दि. 24.07.2015 विरासत से बरदीबाई फोत के बजाय श्री मांगीलाल प्रभु उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के नाम दर्ज हुआ। लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि ना.सं. 339 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से कसुमीबाई व इन्द्रा के बजाय मोहनलाल पिता हजारी माली के नाम दर्ज हुआ। नामा.सं. 340 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से बालीबाई व जमीनवाई के वजाय किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर पिता दल्लीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ । नामा.सं. 342 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से घीसीबाई देउबाई गोरधनबाइ पिता कुका मांगीलाल प्रभू उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के बजाय सोहनलाल पिता हजारी किशनलाल पिता दलीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ शेष बदस्तूर। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा सुलीमंगरा प0ह0 बेगूँ सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज आराजी संख्या 102, 103,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

, 109, 112, 113 कीता–6 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री तुलछा पिता किशना हि. 1/4 कन्हैयालाल पिता भागीरथ नन्दू पत्नि भागीरथ श्रीकिशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पिता दोला कसुमीबाई प.स्व. दलीचन्द्र किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर जमनीबाई पिता दलीचन्द्र घीसीबाई बरदीबाई देउबाई गोर्धनबाई पिता कूका हिस्सा 1/4 धन्नालाल मु. पन्नालाल हिस्सा 1/2 माली सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है जमाबंदी में नोट अंकित है कि नामा.सं. 302 नि.दि.01.06.2014 विरासत से धन्नालाल फोत से धन्नालाल पिता पन्नालाल हिस्सा 1/2 के बजाय श्रीमति नर्बदादेवी पत्नि स्व. धन्नालाल नन्दूदेवी पत्नि स्व.धन्नालाल हि. 1/2के हुआ। ना.सं. 305 नि.दि.12.08.2014 से नर्बदादेवी व नन्दूदेवी पत्नि धन्नलाल का हिस्सा 1/2 विक्रय से रामचन्द्र पिता नाथूलाल निदेशकुमार पिता रामचन्द्र वोहरा ब्राम्हण सा.बेगूँ हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ शेष खातेदार बदस्तूर। नामा सं. 321 नि.दि. 24.07.2015 विरासत से बरदीबाई फोत के बजाय श्री मांगीलाल प्रभु उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के नाम दर्ज हुआ। ना.सं. 339 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से कसुमीबाई व इन्द्रा के बजाय मोहनलाल पिता हजारी माली के नाम दर्ज हुआ। नामा.सं. 340 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से वालीबाई व जमीनबाई के बजाय किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर पिता दल्लीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ ।

नामा.सं. 342 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से घीसीबाई देउबाई गोरधनबाई पिता कुका मांगीलाल प्रभू उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के बजाय सोहनलाल पिता हजारी किशनलाल पिता दलीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ शेष बदस्तूर। प्रदर्श–3 नक्शाट्रेस आराजी 91,93, 94, 99, 100, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 120 कीता–13 रकबा 1.5500 हैक्टर का है। तथा प्रदर्श–4 नकल नक्शाट्रेस आरजी संख्या 102, 103, 108, 109, 112, 113 कीता–6 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर भूमि का है। नकल जमाबंदी मौजा सूलीमंगरा प0ह0 बेगूँ की सम्वत 2070 से 2073 तक की प्रदर्श–3 है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 106 रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री बंशीलाल पिता मोहन गोर्धनी पिता किसन पति घीसू कैलाश पिता किसन पति भैय गुड्डीबाई पिता किसन पति शीशपाल भोलीबाई पिता वीरम पति देबी मूली पिता वीरम पति वेणा मोहन रामेश्वर पिता किसन लालीबाई पिता गणेश पति रमेश छगन पिता विरम घीसीबाई पिता कुका पति धन्ना बरदी पिता कुका पति हेमराज देउबाई पिता कुका पति भंवरलाल गोर्धनी पिता कुका पति बालू इन्द्रा पिता हजारी पति कैलाश सोहनलाल पिता हजारी कुसुमीबाई बेवा हजारी बालीबाई बेवा दलीचन्द्र किसन भवानीशंकर गोपाल पिता दलीचन्द्र पति दुर्गालाल माली सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि नामा सं. 321 नि.दि. 24.07.2015 विरासत से बरदीबाई फोत के बजाय श्री मांगीलाल प्रभु उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के नाम दर्ज हुआ। लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि ना.सं. 339 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से कसुमीबाई व इन्द्रा के बजाय मोहनलाल पिता हजारी माली के नाम दर्ज हुआ। नामा.सं. 340 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से वालीबाई व जमीनबाई के बजाय किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर पिता दल्लीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ । नामा.सं. 342 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से घीसीबाई देउबाई गोरधनबाइ पिता कुका मांगीलाल प्रभू उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के बजाय सोहनलाल पिता हजारी किशनलाल पिता दलीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ शेष बदस्तूर। प्रदर्श–6 नक्शाट्रेस आराजी संख्या 106 रकबा 0.3600 हैक्टर का है। इसी प्रकार प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी मौजा सुलीमंगरा प0ह0 बेगूँ की सम्वत 2070 से 2073 की पेश की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 95 रकबा 0.0300 हैक्टर आचाह भूमि के खातेदार श्री धन्नलाल मु. पन्नालाल हि. 1/3 ऊकार पिता हुकमा प्यारेलला रामचन्द्र पिता नाराण हिस्सा 1/3 कन्हैयालाल पिता भागीरथ नन्दूबेवा भागीरथ श्री किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पुत्री दोला कसुमीबाई प.स्व. हजारी सोहनलाल इन्द्राबाई पिता हजारी बालीबाई प.स्व. दलीचन्द्र किशनलाल गोपाल भवानीशंकर जमनीबाई पिता दलीचन्द्र घीसीबाई बरदीबाई देउबाई

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

बाई पिता कूका हि. 1/3 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है, जमाबंदी में नोट कृत है कि नामा.सं. 301 नि.दि. 25.08.2014 विरासत से धन्नलाल मु.पन्नालाल हि. 1/3 के जाय श्रीमति नर्बदाबेवी पत्नि स्व. धन्नालाल नन्दूदेवी पति स्व. धन्नालाल हिसा1/3 के नाम हुआ। नामा.सं. 305 नि.दि. 12.08.2014 से नर्बदादेवी व नन्दूदेवी पति धन्नालाल का हिस्सा 1/3 विकय से रामचन्द्र पिता नाथूलाल दिनेशकुमार पिता रामचन्द्र बोहरा ब्राम्हण सा.बेगूँ हिस्सा 1/3 दर्ज हुआ शेष खातेदार बदस्तूर। नामा सं. 321 नि.दि. 24.07.2015 विरासत से बरदीबाई फोत के बजाय श्री मांगीलाल प्रभु उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के नाम दर्ज हुआ। लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि ना.सं. 339 दिनांक 12.04. 2016 हकत्याग से कसुमीबाई व इन्द्रा के बजाय मोहनलाल पिता हजारी माली के नाम दर्ज हुआ। नामा.सं. 340 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से बालीबाई व जमीनबाई के बजाय किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर पिता दल्लीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ । नामा.सं. 342 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से घीसीबाई देउबाई गोरधनबाइ पिता कुका मांगीलाल प्रभू उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के बजाय सोहनलाल पिता हजारी किशनलाल पिता दलीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ शेष बदस्तूर।

इन सभी प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि मृतक अमरा के पुत्र रामकिशन के गोदपुत्र केशा व उनके पुत्र किशन माली वादी का नाम जमाबंदी में दर्ज अकित नहीं हैं। वादी किशन जी माली रामकिशन जी के गोदपुत्र केशा जी के गोद पुत्र रहे है इस वाद के तथ्य को वादी द्वारा अपने बयानो एवं प्रस्तुत गवाह के बयानों से सिद्ध की है। प्रदर्श–8 नकल भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की छायाप्रति है जो केशा पिता रामकिशन के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श–9 शोक पत्रिका केशुराम जी का पिता जी रामकिशन जी के स्वर्गवास दिनांक 23.09.1998 को होने की है। प्रदर्श–10 केशुराम माली पिता रामकिशन जी माली के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति है। साथ ही प्रदर्श–11 मृत्युप्रमाण पत्र रामकिशन माली पिता अमरा जी माली के मत्युप्रमाण पत्र की छायाप्रति है। प्रदर्श–12 राशन एवं परिवार कार्ड की छायाप्रति है यह राशनकार्ड क्रमांक 3123 से वार्ड नं. 3 के लिए रामकिशन पिता अमरा माली निवासी सुलीमंगरा के नाम पर जारी हुआ है। जिसमें परिवार के सदस्यो के नाम रामकिशन दाखी केशुराम पुत्र मांगी पुत्र वधु किशन पोत्र शांति पोती के नाम दर्ज है। प्रदर्श–13 नकल परिवार राशनकार्ड की छायाप्रति है जो कि केशामाली पुत्र रामकिशन माली के नाम पर जारी है जिसमें परिवार के सदस्यो के नाम केशा स्वय, किशनलाल पुत्र शांतिबाई पुत्रवधु भुवेश पोत्र अंकित किया हुआ है। प्रदर्श–14 गोदनामा जो भाटपानडी से लिखा गया है उसकी छायाप्रति है जो अपंजीकृत है। प्रदर्श'15 भारत निर्वाचन आयोग का परिचयपत्र श्री किशनलाल पुत्र केशा का है। प्रदर्श–16 आधार कार्ड किशनलाल पिता केशालाल माली की प्रति है।प्रदर्श–17 शोक पत्रिका मृतक केशुराम की है। प्रदर्श–18 राशनकार्ड किशनलाल पिता केशामाली का है। प्रदर्श–19 जाति प्रमाण पत्र किशनलाल माली का है। प्रदर्श'20 मूलनिवास पत्र किशनलाल माली का है। प्रदर्श–21 नकल नामान्तरण संख्या 229 I है यह इन्तकाल विरासत से खोला गया है जिसमें नोट अंकित किया है कि खातेदार कूका फोत पुत्र हजारी फोत किशनलाल गोपाललाल रामकिशन फोत पुत्र केसुराम फोत कार्यवाही बेरूनमियाद है। पटवार हल्का अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खातेदार कुकाराम किसन एवं पुत्र हजारी तथा केशुराम फोत से मुताबिक सजरे नामान्तरण दायर कर पेश है। यह इन्तकाल जो खोला गया है वह श्री कन्हैयालाल पिता भागीरथ,नन्दु बेवा भागीरथ किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पिता दौला श्रीमती कसुमीबाई पत्नी स्व. हजारी सोहनलाल इन्द्राबाई पिता हजारी बाली बेवा दलीचन्द्र भवानीशंकर जयानीबाई घीसीबाइ वरदीवाई गोरर्धनवाई पिता कूका के नाम पर दर्ज किया हुंआ है।इन्तकाल पर बनाया गया सजरे का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–21 इन्तकाल संख्या 229 II का अवलोकन किया गया यह इन्तकाल विरासत से खोला गया जिसमें खातेदार अमरा फोत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

रम कूका रामकिशन व भागीरथ फोत कार्यवाही बेरूनमियाद होना अंकित किया है। री हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खातेदार अमरा फोत पुत्र वीरम कूका किशन व भागीरथ फोत होने से मुताबिक सजरे के नामान्तरण दायर कर पेश है। यह मान्तरण जिनके पक्ष में खोला गया है वह कन्हेयालाल पिता भागीरथ , नन्दू पत्नि भागीरथ, किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पुत्री दौला कसुमी बाई पत्नी स्व. हजारी सोहनलाल इन्द्रा पिता हजारी बाली पत्नी दलीचंद्र ,किशनलाल गोपाल लाल भवानीशंकर जयानीबाई पिता दलीचंद्र घीसीबाई देउबाई गोर्धनबाई बरदीबाई पिता कूका दर्ज अंकित है। इन्तकाल पर बने सजरे का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में नकलजमाबंदी मौजा सूलीमंगरा प0ह0बेगूँ सं. 2062 से 65 की पेश की है जो कि प्रदर्श–22 है जमाबंदी में दर्ज आराजी नम्बर 92, 94, 99, 100, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 120 93 कीता–12 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर भूमि के खातेदार कन्हैयालाल पिता भागीरथ नंदू बेवा भागीरथ किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम कूका दौला रामकिशन पिता अमरा माली सा0देह खातेदार दर्ज है तथा जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है कि इन्तकाल संख्या 229ा एवं 229ाा से कूका दौला रामकिशन फोत होने से खोला गया है। प्रदर्श–23 नकल जमाबंदी सं. 2050 से 2053 तक की मौजा सूलीमंगरा की पेश की है जिसमें अंकित आराजी खसरा संख्या 92, 94, 99, 100, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 120 93 कीता–12 कुल रकबा 1.5500 हैक्टर भूमि वीरम कूका दौला रामकिशन पिता अमरा माली के नाम पर दर्ज है। जमाबंदी मे नोट अंकित है कि इन्तकाल संख्या 146 से कन्हैयालाल पिता भागीरथ नंदूबाई बेवा भागीरथ किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम कूका दौला रामकिशन पिता अमरा के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। प्रदर्श–24 सम्मन का अखबार में साया किया अखबार की प्रति संलग्न पेश की है।

उपरोक्त सभी दस्तावेज का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया, इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा सूलीमंगरा पटवार हल्का बेगूँ की सम्वत 2070 से 2073 तक प्रस्तुत की है जमाबंदीी में अंकित आराजी खसरा संख्या 92, 93, 94, 99,100, 101, 115, 116, 117, 118, 119, 120 कीता–12 कुल रकबा 1.500 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मोहनलाल गोपाललाल दुर्गाबाई पिता कन्हैयॉलाल रतनीबाई पत्नि कन्हैयांलाल नन्दू बेवा भागीरथ श्री किशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पिता दोला कुसमीबाई प.स्व.हजारी सोहनलाल इन्द्राबाई पिता हजारी बाली बेवा दलीचन्द किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर जमनीबाई पिता दलीचन्द्र घीसीबाई बरदीबाई देउबाई गोरधनबाई पिता कुका माली सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमंगरा हिस्सा 1/9 रामकिशन का ना.सं. 251 दर्ज अंकित है। जमाबंदी में नोट अंकित है नामा सं. 321 नि.दि. 24.07.2015 विरासत से बरदीबाई फोत के बजाय श्री मांगीलाल प्रभु उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के नाम दर्ज हुआ। लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि ना.सं. 339 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से कसुमीबाई व इन्द्रा के बजाय मोहनलाल पिता हजारी माली के नाम दर्ज हुआ। नामा.सं. 340 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से बालीबाई व जमीनबाई के बजाय किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर पिता दल्लीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ । नामा. सं. 342 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से घीसीबाई देउबाई गोरधनबाइ पिता कुका मांगीलाल प्रभू उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता बरदीबाई के बजाय सोहनलाल पिता हजारी किशनलाल पिता दलीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ शेष बदस्तूर। इस जमाबंदी सजरे अनुसार रामकिशन फोत के गोदपुत्र श्री केशा का नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा सुलीमंगरा प0ह0 बेगूँ सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज आराजी संख्या 102, 103, 108, 109, 112, 113 कीता–6 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री तुलछा पिता किशना हि. 1/4 कन्हैयालाल पिता भागीरथ नन्दू पत्नि भागीरथ श्रीकिशन छगन मूली भोली आनी पिता वीरम मांगीबाई पिता दोला कसुमीबाई प.स्व. दलीचन्द्र किशनलाल गोपाललाल

सहायक अभियंता

,शंकर जमनीबाई पिता दलीचन्द्र धीसीबाई बरदीबाई देउबाई गोर्धनबाई पिता कूका हिस्सा
4 धन्नालाल मु. पन्नालाल हिस्सा 1/2 माली सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है जमाबंदी में
ट अंकित है कि नामा.सं. 302 नि.दि.01.06.2014 विरासत से धन्नालाल फोत से धन्नालाल
पेता पन्नालाल हिस्सा 1/2 के बजाय श्रीमति नर्वदादेवी पत्नि स्व. धन्नालाल नन्दूदेवी पत्नि
स्व.धन्नालाल हि. 1/2के हुआ। ना.सं. 305 नि.दि.12.08.2014 से नर्वदादेवी व नन्दूदेवी पत्नि
धन्नलाल का हिस्सा 1/2 विक्रय से रामचन्द्र पिता नाथूलाल निदेशकुमार पिता रामचन्द्र बोहरा
ब्राम्हण सा.बेगूँ हिस्सा 1/2 दर्ज हुआ शेष खातेदार वदस्तूर। नामा सं. 321 नि.दि. 24.07.2015
विरासत से बरदीबाई फोत के बजाय श्री मांगीलाल प्रभु उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई
माता बरदीबाई के नाम दर्ज हुआ। ना.सं. 339 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से कसुमीबाई व
इन्द्रा के बजाय मोहनलाल पिता हजारी माली के नाम दर्ज हुआ। नामा.सं. 340 दिनांक 12.04.
2016 हकत्याग से बालीबाई व जमीनबाई के बजाय किशनलाल गोपाललाल भवानीशंकर पिता
दल्लीचन्द्र माली के नाम दर्ज हुआ । नामा.सं. 342 दिनांक 12.04.2016 हकत्याग से घीसीबाई
देउबाई गोरधनबाइ पिता कुका मांगीलाल प्रभू उर्फ पप्पूलाल शांतिलाल डालीबाई माता
बरदीबाई के बजाय सोहनलाल पिता हजारी किशनलाल पिता दलीचन्द्र माली के नाम दर्ज
हुआ शेष बदस्तूर। प्रदर्श–3 नक्शाट्रेस आराजी 91,93, 94, 99, 100, 101, 115, 116, 117,
118, 119, 120 कीता–13 रकबा 1.5500 हैक्टर का है। तथा प्रदर्श–4 नकल नक्शाट्रेस आरी
संख्या 102, 103, 108, 109, 112, 113 कीता--6 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर भूमि में भी
रामकिशन के गोदपुत्र केशाजी का नाम नहीं है। इन दस्तावेज के अवलोकन एवं दावा
पत्रावली मे दर्शाये गये सजरे अनुसार अमरा के पुत्र वीरम दौला कूका एवं रामकिशन हुए
जिनमें रामकिशन के गोदपुत्र केशा को अंकित किया हुआ है, लेकिन ऐसा कही कोई दस्तावेज
नहीं प्रस्तुत किया जो इस तथ्य को सिद्ध कर सके कि केशाजी रामकिशन के गोद गये हो।
इसी प्रकार वादी किशन जो कि अपने आप को केशाजी का गोदपुत्र होना बताते हुए यह दावा
लाया है तथा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रदर्श –14 जो कि भाट पानडी से लिखा गया गोद के
अंकन का पत्र है यानि गोद होने का लिखित प्रमाण तो है किन्तु नियमानुसार यदि लिखित
गोदनामा होता है तो वह पंजीकृत होना अनिवार्य है। जमाबंदी प्रदर्श–2 में अंकित नोट
अनुसार नामा0सं0 305 दिनांक 12.08.2014 से नर्बदा देवी. व नन्दू देवी पत्नी धन्नालाल का
1/2 हिस्सा विक्रय से रामचन्द्र पिता नाथूलाल ,दिनेश पिता रामचन्द्र बोहरा ब्राम्हण हिस्सा
1/2 दर्ज हुआ पत्रावली में दर्शाये गए सजरे अनुसार धन्नालाल मु.पन्नालाल को अंकित नहीं
किया है, साथ ही जब उनकी दो पत्नीयों द्वारा हिस्सा 1/2 का विक्रय रामचन्द्र पिता
नाथूलाल ,दिनेश पिता रामचन्द्र बोहरा ब्राम्हण को कर दिया उन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं
बनाया है। यदि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो क्रेता रामचन्द्र व दिनेश की
आराजी जो कि पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की है निश्चित प्रभावित होती है जबकि उन्हें बिना
सुना ही उनके विरूद्ध कोई निर्णय किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत
दस्तावेज अनुसार वादी का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होता है। वादी का
वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 –188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वा सं0 : 143 / 2016

किशनलाल गोदपुत्र स्व0 केशा उर्फ केशुराम माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1 मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जाति माली निवासी रेन की कुई के पास वेगूँ तह0 बेगूँ
2 रतनीबाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति माली निवासी रेन की कुई के पास वेगूँ तह0 बेगूँ
3 गोपाल लाल पिता स्व0 कन्हैयालाल जाति माली निवासी रेन की कुई के पास वेगूँ तह0 वेगूँ
4 मोहनलाल पिता श्रीकिशन जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
5 रामश्वेरलाल पिता श्रीकिशन जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
6 छगनलाल पिता विरम जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
7 वालीबाई पत्नी दलीचन्द्र जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
8 गोपाल लाल पिता दलीचन्द जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
9 भवानीशंकर पिता दलीचन्द जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
10 सेहनलाल पिता हजारी लाल जाति माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
11 मूलीबाई पुत्री विरम पत्नी वेणा माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
12 लालीबाई पुत्री गणेश जी पत्नी रमेश जी माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
13 सोहनी बाई माता भोलीबाई पत्नी देबीलाल जी माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
14 सुरेश पिता देबीलाल जी माता भोलीबाई निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
15 गट्टु उर्फ छीतर पिता नन्दा जी माली माता आनीबाई माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
16 भगवती पत्नी रामचन्द्र जी माली माता आनी बाई माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
17 मंजू पत्नी मदन जी माली माता आनीबाई माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
18 शंकर पिता तारिचन्द्र माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
19 घनश्याम पिता ताराचन्द्र माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
20 हेमलता पिता ताराचन्द्र माली नाबालिग जरिये माता रामूबाई माली निवासी जूनीबेगूँ तह0 बेगूँ
21 कैलाश पिता ताराचन्द्र माली नाबालिग जरिये माता रामूबाई माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
22 मदनलाल माता मांगीबाई पुत्र मोतीलाल माली निवासी जूनी बेगूँ तह0 बेगूँ
23 वंशीलाल पिता मोहन जी माली निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
24 गोवर्धनी पिता किशन जी पति घीसू जी माली निवासी खालडिया तालाब बेगूँ तह0 बेगूँ
25 कैलाशी पिता किशन जी माली पत्नी भैरू जी नाली निवासी मेन रोड बेगूँ तह0 बेगूँ
26 गुड्डीबाई पुत्री किशन जी माली पत्नी शीशपाल जी माली निवासी केसरगंज बिजौलिया
27 दुर्गाबाई पतनी इन्द्रजीत पुत्री कन्हैयालाल माली निवासी नीम का खेडा तह0 बून्दी
28 श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
29 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
30 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़ प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 16.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 –188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ